संख्या : 4905 / जी0एस0(शिक्षा) / A11-182 / 2021

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

03 AUG 2026

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक जुलाई, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 240112014922, दिनांक 19.08.2025 एवं विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 6417, दिनांक 19.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पीटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड टूरिज्म, मोहकमपुर, देहरादून को कतिपय पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव एवं निराकरण** आख्या संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि।
1	2	3	4	5
01	उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पीटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड टूरिज्म, मोहकमपुर, देहरादून।	बी0एच0एम0	60 सीट	2020–21 से 2024–25
		बी0ए0 (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		बी0कॉम0	60 सीट	
		बी0कॉम0–आनर्स	40 सीट	
		बी0एससी0 (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति	60 सीट प्रति विषय	

		विज्ञान)		
		बी0एच0ए0	60 सीट	
		बी0ए0 (आनर्स) जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन	60 सीट	
		एम0एच0एम0	60 सीट	2022–23 से 2024–25

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संस्थान से प्राभूति राशि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2026 के अनुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर प्राभूति अपूर्ण होने की दशा मे विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय, उक्त संस्थान का बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र 2020–21 से 2024–25 हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों को कुलपति की संस्तुति सहित पृथक से प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 01-08-2026
17:21:41

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 4905/जी0एस0(शिक्षा)/A11-182/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 03-08-2026
11:20:49

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।